न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/2

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
पुलिस थाना सिरीयारी जरिये थानाधिकारी महिपालसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपुत निवासी चिरडिया तहसील समदडी जिला बालोतरा राज.		1. फतेहसिंह पुत्र भादुसिंह जाति रावत निवासी ढाणा का ओडा सिरीयारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 2. गाजीसिंह पुत्र धनेसिंह जाति रावत निवासी बेरा पावटीया सिरीयारी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 3. सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर सिंह कुम्पावत।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.7.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सिरियारी द्वारा जारी मिसल संख्या 7 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 फतेहसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 3211 दिनांक 20.01.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना सिरीयारी के पक्ष में ग्राम पंचायत सिरीयारी द्वारा दिनांक 30.03.1996 को मिसल संख्या 2/95–96 के द्वारा पट्टा संख्या 59 जारी किया जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है तथा उपरोक्त परिसर में पुलिस थाना सिरीयारी बना हुआ है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में मकान, दक्षिण दिशा में आम रास्ता, पूर्व दिशा में पडत भूमि तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता स्थित है। पश्चिम दिशा में पुलिस थाना का मुख्य दरवाजा है जिस पर लोहे का गेट लगा हुआ है तथा पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते के चिपते ही लोंगरी कक्ष बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करके विधिविरूद्ध तरीके से पुलिस थाने के पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते एवं लोंगरी कक्ष का पट्टा जारी करवा दिया तथा उक्त अवैध पट्टे की आड में लोंगरी कक्ष व रास्ते की भूमि का बेचाण अप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 उक्त पट्टे की आड में रास्ते पर निर्माण कर उसको बन्द करने एवं लोंगरी कक्ष पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा है। ग्राम पंचायत रास्ते की ट्रस्टी होती है तथा उन्हें रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना लिखित जवाब/कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस थाना परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने पर अप्रार्थी संख्या 2 का जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख खरीदशुदा भूखण्ड स्थित है जिस पर पुराना कमरा बना हुआ है जो अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बनाया गया था। अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियमानुसार पट्टा जारी किया है जो विधिसम्मत है। प्रार्थी जिस कक्ष को लोंगरी कक्ष बता रहे है वह अप्रार्थी संख्या 2 का खरीदसुदा है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 का स्वामित्व हक अधिकारिता का चला आ रहा है। जैर निगरानी पट्टे के चारो तरफ पत्थरों से बाउण्ड्री वॉल हो रखी है। जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में पुलिस थाना सिरियारी बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में जारी किया है, जो विधिनुसार है। अतः जैर निगरानी खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब/कथन पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक मनन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सिरीयारी द्वारा जारी मिसल संख्या 7 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 फतेहसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 3211 दिनांक 20.01.2004 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पडौस अनुसार पूर्व दिशा में पुलिस थाना सिरीयारी की चारदिवारी, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में पंचायत पडत भूमि तथा दक्षिण दिशा में भूण्डाराम पुत्र भोलाराम देवासी का मकान स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सिरीयारी द्वारा मिसल संख्या 02/95–96 की पालना में पुलिस थाना सिरीयारी के पक्ष में पट्टा संख्या 59 दिनांक 03.03.1996 जारी किया गया, जिसमें अंकित चतुर्दशी अनुसार पूर्व दिशा में पडत, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में मकान तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस थाना सिरीयारी को जारी पट्टे की पश्चिम दिशा, जैर निगरानी पट्टे की पूर्व दिशा है। चुकि पुलिस थाना सिरीयारी के पट्टे की पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है जो यह ताईद करता है कि जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 1984 RLW 528 (a) - The colelctor may be justified in holding that the land which forms part of the public way cannot be sold by the Gram panchayat because those lands which form part of the public streets and pathways are vested in the Gram panchayat only as a trustee thereof and the gram panchayat has no right to dispose of the same by way of sale or otherwise. भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करता है। जिससे जैर निगरानी पट्टे को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सिरियारी द्वारा जारी मिसल संख्या 7 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 फतेहसिंह के पक्ष में पट्टा संख्या 3211 दिनांक 20.01.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय पाली (राज.)